

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 जून, 2012

संख्या सा०का०नि० 20/संवि०/अनु० 309/2012.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (गुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

भाग-I सामान्य

- संक्षिप्त नाम
तथा प्रारम्भ। 1. (1) ये नियम हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (गुप ग) क्षेत्रीय कार्यालय सेवा नियम, 2012 कहे जा सकते हैं।
- (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- परिभाषाएं। 2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
- (क) “प्रशासनिक सचिव” से अभिप्राय है, प्रशासनिक सचिव, विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा;
- (ख) “मुख्य अभियन्ता” से अभिप्राय है, मुख्य अभियन्ता, विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा;
- (ग) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;
- (घ) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
- (ङ) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा;
- (च) “उपायुक्त” से अभिप्राय है, सम्बन्धित जिले का उपायुक्त;
- (छ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (ज) “संस्था” से अभिप्राय है,—
- (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
- (ii) इन नियमों के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
- (झ) “संयुक्त निदेशक” से अभिप्राय है, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा;

(ज) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा

(ट) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग क्षेत्रीय कार्यालय) सेवा।

भाग— II सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद शामिल होंगे:

पदों की संख्या
तथा स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित न हो :—

सेवा में नियुक्त
किए गए
उम्मीदवारों की
राष्ट्रिकता,
अधिवास तथा
चरित्र।

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण—पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भान्ति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह आयोग को आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष से कम अथवा चालीस वर्ष से अधिक आयु का हो।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां,—

नियुक्ति
प्राधिकारी।

- (i) परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार, उप अधीक्षक, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत), समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, लेखाकार, सहायक, लेखा लिपिक, तथा कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में निदेशक; तथा
- (ii) मुख्य प्रारूपकार, प्रारूपकार तथा रेखाकार की दशा में मुख्य अभियन्ता;
- (iii) सचिव तथा पटवारी की दशा में उपायुक्त; तथा
- (iv) चालक, आशुलिपिक तथा लिपिक की दशा में संयुक्त निदेशक; तथा ग्राम द्वारा की जाएगी।

अर्हताएं। 7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, तो आयोग के विवेक पर अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

निरर्हताएं। 8. कोई भी व्यक्ति,—

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह करने की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का
ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

(क) परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार की दशा में,—

- (i) मुख्य प्रारूपकारों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) उप अधीक्षक की दशा में,—

- (i) सहायकों/लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) मुख्य प्रारूपकारों की दशा में,—

- (i) प्रारूपकारों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ङ) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी की दशा में,—

- (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
- (ii) 45 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत क्रमशः ग्राम सचिवों तथा पटवारियों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(छ) प्रारूपकारों की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ;
- (ii) रेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ज) लेखाकार की दशा में,—

- (i) लेखा लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(झ) सहायक की दशा में,—

- (i) लेखा लिपिकों/कनिष्ठ आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ञ) लेखा लिपिकों की दशा में,—

- (i) लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ट) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में,—

- (i) आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ठ) चालक की दशा में,—

- (i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
- (ii) 20 प्रतिशत ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ड) आशुलिपिकों की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ढ) लिपिकों की दशा में,—

- (i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
- (ii) 20 प्रतिशत ग्रुप घ के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ण) ग्राम सचिवों की दशा में,—
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; तथा
- (त) पटवारियों की दशा में,—
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा परीक्षा। नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा:

परन्तु—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानान्तरण नियुक्ति की कोई अवधि परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानान्तरण के रूप में कार्य किया है, परीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि किसी अस्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य का आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह —

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति, सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो, —

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, —

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति को तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है, कि उसने अपनी परीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवाओं में विभिन्न संवर्ग हो, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :-

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा :

परन्तु यह और कि इन नियमों में इकट्ठे रखे गये समरूप संवर्ग वाले कर्मचारियों की ज्येष्ठता, जो पूर्व में विभिन्न नियमों के सेट के अधीन शासित थे, इन नियमों के प्रारम्भ से धारित पदों पर उनकी नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा सेवा करने का उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा दायित्व करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,-

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी,
पेंशन तथा अन्य
मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

टीका
लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, पुनः टीका लगवाएगा।

सत्यनिष्ठा
की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की
शक्तियां।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष
उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझें तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1980 तथा निरसन तथा हरियाणा पंचायत विभाग राज्य सेवा, ग्रुप ग नियम, 1979 इसके द्वारा, निरसित किए व्यावृति। जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	1	4	5	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹4000
2	उप अधीक्षक	8	34	42	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹3600
3	मुख्य प्रारूपकार	1	22	23	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹3600
4	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	70	447	517	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹3600
5	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	2	3	5	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹3600
6	समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी	86	83	119	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹3200
7	प्रारूपकार	15	11	26	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹3200
8	लेखाकार	76	83	159	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹3200
9	सहायक	235	45	280	वेतन बैंड-2 ₹ 9300-34800+₹3200
10	लेखा लिपिक	12	142	154	वेतन बैंड-1 ₹ 5200-20200+₹2400
11	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	—	4	4	वेतन बैंड-1 ₹ 5200-20200+₹2400
12	चालक	72	90	162	वेतन बैंड-1 ₹ 5200-20200+₹2400 + ₹100 विशेष वेतन
13	रेखाकार	2	—	2	बैंड वेतन ₹ 5200-20200+₹2000
14	आशुलिपिक	71	93	164	बैंड वेतन ₹ 5200-20200+₹1900+ ₹100 विशेष वेतन
15	लिपिक	235	100	335	बैंड वेतन ₹ 5200-20200+1900
16	ग्राम सचिव	900	1337	2237	बैंड वेतन ₹ 5200-20200+₹1900
17	पटवारी	116	—	116	बैंड वेतन ₹ 5200-20200+₹1900

- टिप्पणः
- (i) विकास तथा पंचायत विभाग हेतु अनुभाग अधिकारी (अधीनस्थ लेखा सेवा) के 30 पद स्वीकृत हैं, जो वित्त विभाग हरियाणा से भरे जाने हैं।
 - (ii) विकास तथा पंचायत विभाग हेतु नायब तहसीलदार का एक पद स्वीकृत है, जो राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग से भरा जाना है।
 - (iii) पदोन्नति, सेवानिवृत्ति तथा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त होने वाला रेखाकार का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, चूंकि रेखाकार का संवर्ग हास संवर्ग है।
 - (iv) ग्राम सचिव तथा पटवारी की दशा में जिला संवर्ग बनाया जाएगा, तथापि, उनकी ज्येष्ठता राज्य स्तर की होगी तथा तदानुसार बनाई जाएगी। जिलावार इन पदों का विवरण परिशिष्ट-क-1 संलग्न है।

परिशिष्ट-क-1

क्र०सं०	जिले का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या
1	अम्बाला	ग्राम सचिव	150
		पटवारी	6
2	भिवानी	ग्राम सचिव	172
		पटवारी	9
3	फरीदाबाद	ग्राम सचिव	41
		पटवारी	2
4	फतेहाबाद	ग्राम सचिव	91
		पटवारी	5
5	गुडगांव	ग्राम सचिव	77
		पटवारी	4
6	हिसार	ग्राम सचिव	115
		पटवारी	9
7	झज्जर	ग्राम सचिव	91
		पटवारी	5
8	जीन्द	ग्राम सचिव	112
		पटवारी	7
9	कुरुक्षेत्र	ग्राम सचिव	140
		पटवारी	5
10	करनाल	ग्राम सचिव	135
		पटवारी	6
11	कैथल	ग्राम सचिव	98
		पटवारी	6
12	मेवात	ग्राम सचिव	114
		पटवारी	5
13	महेन्द्रगढ़	ग्राम सचिव	127
		पटवारी	5
14	पलवल	ग्राम सचिव	87
		पटवारी	4
15	पानीपत	ग्राम सचिव	59
		पटवारी	5
16	पंचकूला	ग्राम सचिव	44
		पटवारी	4
17	रेवाड़ी	ग्राम सचिव	128
		पटवारी	5
18	रोहतक	ग्राम सचिव	53
		पटवारी	5
19	सिरसा	ग्राम सचिव	123
		पटवारी	7
20	सोनीपत	ग्राम सचिव	118
		पटवारी	7
21	यमुनानगर	ग्राम सचिव	162
		पटवारी	6

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	—	पदोन्नति द्वारा— मुख्य प्रारूपकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; तथा (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रारूपकार (सिविल) में उपाधि-पत्र;
2	उप अधीक्षक	—	पदोन्नति द्वारा— सहायक/लेखाकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;
3	मुख्य प्रारूपकार	—	पदोन्नति द्वारा— प्रारूपकार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) मुख्य प्रारूपकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; तथा (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रारूपकार (सिविल) में उपाधि-पत्र;
4	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिक/10+2 या इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; तथा

1	2	3	4
		तथा (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय उपाधि-पत्र;	(iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय उपाधि-पत्र;
5	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिक/ 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत; तथा (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय उपाधि-पत्र;	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत; तथा (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय उपाधि-पत्र;
6	समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में स्नातक; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत;	पदोन्नति द्वारा— ग्राम सचिव/पटवारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में स्नातक; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत;
7	प्रारूपकार	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिक/10+2 या इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; तथा (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रारूपकार (सिविल) में उपाधि-पत्र;	पदोन्नति द्वारा— (i) रेखाकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रारूपकार (सिविल) में उपाधि-पत्र; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) प्रारूपकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; तथा (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रारूपकार (सिविल) में उपाधि-पत्र; तथा
8	लेखाकार	—	पदोन्नति द्वारा—

1	2	3	4
			<p>लेखा लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) लेखाकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>
9	सहायक	—	<p>पदोन्नति द्वारा— लेखा लिपिक/कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>
10	लेखा लिपिक	—	<p>पदोन्नति द्वारा— लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) लेखा लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>
11	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	—	<p>पदोन्नति द्वारा— (i) आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; या (iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</p>

1	2	3	4
12	चालक	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी या संस्कृत सहित मैट्रिक या इसके समकक्ष;</p> <p>(ii) हल्का या भारी वाहन का वैध ड्राइविंग लाईसेंस तथा चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव;</p>	<p>पदोन्नति द्वारा—</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी या संस्कृत सहित मैट्रिक या इसके समकक्ष;</p> <p>(ii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा;</p> <p>(iii) हल्का या भारी वाहन का वैध ड्राइविंग लाईसेंस;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—</p> <p>(i) चालक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।</p>
13	रेखाकार	ह्यसं संवर्ग।	
14	आशुलिपिक	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मैट्रिक/हायर सेकेण्डरी/10+2 (व्यावसायिक) या इसके समकक्ष;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; तथा</p> <p>(iii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन, या 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन;</p>	<p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—</p> <p>(i) आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।</p>
15	लिपिक	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मैट्रिक/हायर सेकेण्डरी/10+2 (व्यावसायिक) या इसके समकक्ष;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; तथा</p> <p>(iii) नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के</p>	<p>पदोन्नति द्वारा—</p> <p>(i) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी या संस्कृत सहित मैट्रिक या इसके समकक्ष; तथा</p> <p>(i) पदोन्नत व्यक्ति को पदोन्नति की तिथि से एक वर्ष के भीतर हिन्दी या अंग्रेजी</p>

1	2	3	4
		भीतर हिन्दी या अंग्रेजी में कमशः 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईप टैस्ट पास करना अपेक्षित होगा अन्यथा उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जायेगी।	(iii) में कमशः 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईप टैस्ट पास करना अपेक्षित होगा अन्यथा उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जायेगी। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव तथा उम्मीदवार टाईप टैस्ट अर्हित होना चाहिए; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।
16	ग्राम सचिव	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मैट्रिक/हायर सेकेण्डरी/10+2 या इसके समकक्ष; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी या संस्कृत;	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) ग्राम सचिव के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।
17	पटवारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मैट्रिक/हायर सेकेण्डरी/10+2 (व्यावसायिक) या इसके समकक्ष; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) पटवारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।

परिशिष्ट ग

[(देखिए नियम 14(1))]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	निदेशक	I छोटी शास्तियां (i) वैयक्तिक फाईल, (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई किसी धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना; II बड़ी शास्तियां (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समय-मान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त	निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
2	उप अधीक्षक					
3	मुख्य प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता		मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
4	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	निदेशक		निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
5	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)					
6	सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी	निदेशक		निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
7	प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता		मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
8	लेखाकार	निदेशक		निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
9	सहायक					
10	लेखालिपिक					
11	कनिष्ठ आशुलिपिक					
12	चालक	संयुक्त निदेशक		संयुक्त निदेशक	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
13	रेखाकार	मुख्य अभियन्ता		मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
14	आशुलिपिक	संयुक्त निदेशक		संयुक्त निदेशक	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
15	लिपिक					
16	ग्राम सचिव	उपायुक्त		उपायुक्त	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
17	पटवारी					

1	2	3	4	5	6	7
			<p>निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;</p> <p>(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकार कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारण, तथा रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद या सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा;</p> <p>(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;</p> <p>(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;</p> <p>(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगा।</p>			

परिशिष्ट घ

[(देखिए नियम 14 (2))]

क्रम सं०	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) उसके अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति;	निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
2.	उप अधीक्षक				
3.	मुख्य प्रारूपकार		मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
4.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)		निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
5.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)				
6.	सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी		निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
7.	प्रारूपकार		मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
8.	लेखाकार		निदेशक	प्रशासनिक सचिव	सरकार
9.	सहायक				
10.	लेखालिपिक				
11.	कनिष्ठ आशुलिपिक				
12.	चालक		संयुक्त निदेशक	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
13.	रेखाकार		मुख्य अभियन्ता	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
14.	आशुलिपिक		संयुक्त निदेशक	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
15.	लिपिक				
16.	ग्राम सचिव		उपायुक्त	निदेशक	प्रशासनिक सचिव
17.	पटवारी				

पी० राघवेन्द्र राव,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 6th June, 2012

No. GSR 20/Const./Art-309/2012.-- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices Service, namely :-

PART-I

GENERAL

1. (1) These rules may be called the Haryana Development and Panchayats Department (Group C) Field Offices Service Rules, 2012.

Short title and
commence-
ment.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires, --

Definitions.

(a) "Administrative Secretary" means the Administrative Secretary, Development and Panchayats Department, Haryana;

(b) "Chief Engineer" means the Chief Engineer, Development and Panchayats Department, Haryana ;

(c) "Commission" means the Haryana Staff Selection Commission;

(d) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(e) "Director" means the Director, Development and Panchayats Department, Haryana;

(f) "Deputy Commissioner" means Deputy Commissioner of the respective district.

(g) "Government" means the Haryana Government, in the Administrative Department;

(h) "institution" means, --

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ;
or

(ii) any other institution recognized by Government for the purpose of these rules;

(i) "Joint Director" means the Joint Director (Administration) Development and Panchayats Department.

(j) "recognized university" means, --

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) any other university which has been declared recognized by the Government for the purpose of these rules;

(k) "Service" means the Haryana Development and Panchayats Department, (Group C) Field Offices Service.

PART-II RECRUITMENT TO SERVICE

Number and
character of the
posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality,
domicile and
character of
candidates
appointed to
Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is, --

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan :

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than forty years of age, on the last date of submission of application to the Commission.

Appointing
authority.

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by,--

(i) Director in the case of Circle Head Draftsman, Deputy Superintendent, Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Electrical), Social Education and Panchayat Officer, Accountant, Assistant, Accounts Clerk and Junior Scale Stenographer;

(ii) Chief Engineer in the case of Head Draftsman, Draftsman and Tracer;

(iii) Deputy Commissioner in the case of Gram Sachiv and Patwari ; and

(iv) Joint Director in the case of Driver, Steno-typist and Clerk.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person appointed otherwise than by direct recruitment: Qualification.

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of fifty per cent at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reason for so doing in writing.

8. No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Disqualification.

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,--

Method of
recruitment.

(a) in case of Circle Head Draftsman,--

- (i) by promotion from amongst the Head Draftsmen; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in case of Deputy Superintendent,--

- (i) by promotion from amongst Assistants/Accountants; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) in case of Head Draftsman,--

- (i) by promotion from amongst the Head Draftsmen; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(d) in case of Junior Engineer (Civil),--

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(e) in case of Junior Engineer (Electrical),--

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (f) in case of Social Education and Panchayat Officer,--
 - (i) 50 percent by direct recruitment; and
 - (ii) 45 percent and 5 percent by promotion amongst Gram Sachivs and Patwaris respectively; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (g) in case of Draftsman,--
 - (i) by direct recruitment; and
 - (ii) by promotion from amongst the Tracers; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (h) in case of Accountant,--
 - (i) by promotion from amongst Accounts Clerks; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (i) in case of Assistant,--
 - (i) by promotion from amongst Accounts Clerks/Junior Scale Stenographers; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (j) in case of Accounts Clerk,--
 - (i) by promotion from amongst Clerks; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (k) in case of Junior Scale Stenographer,--
 - (i) by promotion from amongst Steno-typists; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (l) in case of Driver,--
 - (i) 80 per cent by direct recruitment; and
 - (ii) 20 per cent by promotion from amongst employees of Group D; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (m) in case of Steno-typists,--
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (n) in case of Clerk,--
 - (i) 80 per cent by direct recruitment; and
 - (ii) 20 per cent by promotion from amongst employees of Group D; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (o) in case of Gram Sachiv,--
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (p) in case of Patwari,--
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotion.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Probation

Provided that --

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, -

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment -
 - (i) revert him to his former post ; or

- (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may -
 - (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, -
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
 - (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory, -
 - (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadres:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows : -

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a

member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member:

Provided further that the seniority of employees holding identical cadres put together in these rules, earlier governed under different sets of rules, shall be determined from the date of their appointment to the post held on the commencement of these rules.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority. Liability to serve.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under -

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana.
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve under the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service, shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature. Pay, leave, pension and other matter.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, member of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time: Discipline, penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when Government directs by a special or a general order. Vaccination.

16. Every member of Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established. Oath of allegiance.

- Power of relaxation. 17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Special provision. 18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.
- Reservations. 19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time:
- Provided that the total percentage of reservations, so made, shall not exceed fifty per cent, at any time.
- Repeal and savings. 20. The Haryana Development and Panchayat Department (Group C) Service Rules, 1980 and Haryana Panchayats State Service Group 'C' Rules, 1979 are hereby repealed:
- Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

[See rule 3]

Sr. No.	Designation of post	Number of posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Circle Head Draftsman	1	4	5	Pay Band-2 ₹ 9300-34800+ ₹ 4000
2	Deputy Superintendent	8	34	42	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3600
3	Head Draftsman	1	22	23	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3600
4	Junior Engineer (Civil)	70	447	517	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3600
5	Junior Engineer (Electrical)	2	3	5	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3600
6	Social Education and Panchayat Officer	86	83	159	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3200
7	Draftsman	15	11	26	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3200
8	Accountant	76	83	159	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3200
9	Assistant	235	45	280	Pay Band -2 ₹ 9300-34800+ ₹ 3200
10	Accounts Clerk	12	142	154	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 2400
11	Junior Scale Stenographer	-	4	4	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 2400
12	Driver	72	90	162	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 2400 + ₹ 100 Special Pay
13	Tracer	2	-	2	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 2000
14	Steno-typist	71	93	164	Pay Band B-1 ₹ 5200-20200+ ₹ 1900 + ₹ 100 Special Pay
15	Clerk	235	100	335	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 1900
16	Gram Sachiv	900	1337	2237	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 1900
17	Patwari	116	-	116	Pay Band -1 ₹ 5200-20200+ ₹ 1900

Note: (i) 30 posts of Section Officer (SAS) are sanctioned for Development and Panchayats Department, which are filled from the Finance Department.

(ii) 1 post of Naib Tehsildar is sanctioned for Development and Panchayats Department, which is to be filled from Revenue & Disaster Management Department.

(iii) The posts of Tracer vacated due to promotion, retirement and any other reasons shall be abolished automatically since the cadre of Tracer is diminishing cadre.

(iv) District cadre would be maintained in the case of Gram Sachiv and Patwari. However, their inter-se seniority would be of State Level and maintained accordingly. Districtwise break-up of these posts appended herewith as Appendix-A-I

Appendix-A-1

Serial Number	Name of District	Name of the post	Number of posts
1	Ambala	Gram Sachiv	150
		Patwari	6
2	Bhiwani	Gram Sachiv	172
		Patwari	9
3	Faridabad	Gram Sachiv	41
		Patwari	2
4	Fatehabad	Gram Sachiv	91
		Patwari	5
5	Gurgaon	Gram Sachiv	77
		Patwari	4
6	Hisar	Gram Sachiv	115
		Patwari	9
7	Jhajjar	Gram Sachiv	91
		Patwari	5
8	Jind	Gram Sachiv	112
		Patwari	7
9	Kurukshetra	Gram Sachiv	140
		Patwari	5
10	Karnal	Gram Sachiv	135
		Patwari	6
11	Kaithal	Gram Sachiv	98
		Patwari	6
12	Mewat	Gram Sachiv	114
		Patwari	5
13	Mohindergarh	Gram Sachiv	127
		Patwari	5
14	Palwal	Gram Sachiv	87
		Patwari	4
15	Panipat	Gram Sachiv	59
		Patwari	5
16	Panchkula	Gram Sachiv	44
		Patwari	4
17	Rewari	Gram Sachiv	128
		Patwari	5
18	Rohtak	Gram Sachiv	53
		Patwari	5
19	Sirsa	Gram Sachiv	123
		Patwari	7
20	Sonepat	Gram Sachiv	118
		Patwari	7
21	Yamuna Nagar	Gram Sachiv	162
		Patwari	6

APPENDIX B

(See rule 7)

Serial Number	Designation of posts	Academic Qualifications Experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Circle Head Draftsman	--	By Promotion – five years experience as Head Draftsman; By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Circle Head Draftsman; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; and (iii) Diploma in Draftsmanship (Civil) from any recognized institution;
2	Deputy Superintendent	--	By Promotion – five years experience as Assistant/Accountant; By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Deputy Superintendent; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;
3	Head Draftsman	--	By Promotion – three years experience as Draftsman; By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Head Draftsman; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (iii) Diploma in Draftsmanship (Civil) from any recognized institution;
4	Junior Engineer (Civil)	(i) Matric/10+2 from any recognized Institution or its equivalent; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; and (iii) Diploma in Civil Engineering from any recognized institution;	By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Junior Engineer; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (iii) Diploma in Civil Engineering from any recognized institution;

1	2	3	4
5	Junior Engineer (Electrical)	(i) Matric/10+2 from any recognized Institution or its equivalent; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (iii) Diploma in Electrical Engineering from any recognized institution;	By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Junior Engineer (Electrical); (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (iii) Diploma in Electrical Engineering from any recognized institution;
6	Social Education and Panchayat Officer	(i) Graduation from any recognized university in any stream; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;	By Promotion – five years experience as Gram Sachiv/Patwari; By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Social Education and Panchayat Officer; (ii) Graduation from any recognized university in any stream; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;
7	Draftsman	(i) Matric/10+2 from any recognized Institution or its equivalent; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (iii) Diploma in Draftsmanship Civil from any recognized institution;	By Promotion – (i) Two years experience as Tracer; and (ii) Diploma in Draftsmanship (Civil) from any recognized institution; By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Draftsman; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (iii) Diploma in Draftsmanship (Civil) from any recognized institution;
8	Accountant		By promotion – three years experience as Accounts Clerk; By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Accountant; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;

1	2	3	4
9	Assistant	--	<p>By Promotion – five years experience as Accounts Clerk/Junior Scale Stenographer.</p> <p>By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Assistant; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;</p>
10	Accounts Clerk	--	<p>By Promotion – three years experience as Clerk; and</p> <p>By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Accounts Clerk; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;</p>
11	Junior Scale Stenographer	--	<p>By Promotion – (i) Two years experience as Stenotypist; and (ii) English Shorthand speed at rate of 100 words per minute and transcription thereof at the speed of 15 words per minute. or Hindi Shorthand speed at rate of 80 words per minute and transcription thereof at the speed of 11 words per minute;</p> <p>By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Junior Scale Stenographer; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education.</p>
12	Driver	<p>(i) Matric with Hindi or Sanskrit or its equivalent from any recognized institution; and (ii) Valid driving licence of Light or heavy vehicle and three years experience as Driver;</p>	<p>By Promotion – (i) Matric with Hindi or Sanskrit or its equivalent from any recognized institution; (ii) Valid driving licence of Light or heavy vehicle; (iii) five years service as Group D employee; and</p> <p>By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Driver; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;</p>

1	2	3	4
13	Tracer	Diminishing cadre	
14	Steno-typist	(i) Matric/Higher Secondary/10+2 (Vocational) from any recognized Institution or its equivalent; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; and (iii) Hindi shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute OR English shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute;	By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Steno-typist; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education.
15	Clerk	(i) Matric/Higher Secondary/10+2 (Vocational) from any recognized institution or its equivalent; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; and (iii) appointee shall be required to qualify a typing test either in Hindi or English at a speed of 25 and 30 words per minute respectively within one year of the appointment otherwise he shall not be given any annual increment;	By Promotion – (i) Matric with Hindi or Sanskrit or its equivalent from any recognized institution; (ii) five years service as Group D employee; and (iii) appointee shall be required to qualify a typing test either in Hindi or English at a speed of 25 and 30 words per minute respectively within one year of the appointment otherwise he shall not be given any annual increment. By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Clerk and candidate must have qualified the typing test; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;
16	Gram Sachiv	(i) Matric/Higher Secondary /10+2 (Vocational) from any recognized institution or its equivalent; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;	By Transfer or Deputation – (i) Two years experience as Gram Sachiv; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;
17	Patwari	(i) Matric/Higher Secondary/10+2 (Vocational) or its equivalent from any recognized institution; (ii) Hindi or Sanskrit upto Matric standard or higher education;	(i) Two years experience as Patwari; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education.

APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of Posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose Penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Circle Head Draftsman	Director	MINOR PENALTIES:	Director	Administrative Secretary	Government
2	Deputy Superintendent	"	(i) warning with a copy on the personal file (character roll);			
3	Head Draftsman	Chief Engineer	(ii) censure;	Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
4	Junior Engineer (Civil)	Director	(iii) withholding of promotion;	Director	Administrative Secretary	Government
5	Junior Engineer (Electrical)	"	(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individual whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority of university set up by an Act of Parliament or the Legislature of a State; and	Director	Administrative Secretary	Government
6	Social Education and Panchayat Officer	Director				
7	Accountant	"				
8	Assistant	"				
9	Junior Scale Stenographer	"				
10	Accounts Clerk	"				
11	Draftsman	Chief Engineer	(v) withholding of increments of pay without cumulative effect;	Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
12	Driver	Joint Director	MAJOR PENALTIES:	Joint Director	Director	Administrative Secretary
13	Tracer	Chief Engineer	(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;	Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
14	Steno-typist	Joint Director	(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period	Joint Director	Director	Administrative Secretary
15	Clerk	"				

1	2	3	4	5	6	7
16	Gram Sachiv	Deputy Commissioner	with further directions as to whether or not the Government employee will earn increment of pay during the period of such reduction and whether or the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay.	Deputy Commissioner	Director	Administrative Secretary
17	Patwari	"	<p>(viii) reduction to a lower scale of pay grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further direction regarding conditions of restoration to the grade, post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;</p> <p>(ix) compulsory retirement;</p> <p>(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;</p> <p>(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under Government</p>			

APPENDIX D

[See rule 14 (2)]

Sr. No.	Designation of Posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second Appellate authority
1	2	4	5	6	7
1	Circle Head Draftsman	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension:	Director	Administrative Secretary	Government
2	Deputy Superintendent				
3	Head Draftsman		Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
4	Junior Engineer (Civil)	(ii) terminating the appointment of a member of service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Administrative Secretary	Government
5	Junior Engineer (Electrical)				
6	Social Education and Panchayat Officer		Director	Administrative Secretary	Government
7	Accountant				
8	Assistant				
9	Junior Scale Stenographer				
10	Accounts Clerk				
11	Draftsman		Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
12	Driver		Joint Director	Director	Administrative Secretary
13	Tracer		Chief Engineer	Director	Administrative Secretary
14	Steno-typist		Joint Director	Director	Administrative Secretary
15	Clerk				
16	Gram Sachiv		Deputy Commissioner	Director	Administrative Secretary
17	Patwari				

P. RAGHAVENDRA RAO
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Development and Panchayats Department